छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
"अधिसूचना"

एफ 10-8(रा)/2001/[illegible]/पांच/634.
अधिसूचना क्रमांक दिनांक 29.3.2001 छत्तीसगढ़

आबकारी अधिनियम 1915 §क्र. 2-1915§ की धारा 62 की उप धारा 1 के खण्ड §घ§ §ड.§ §च§ §छ§ तथा §ज§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा [illegible] विदेशी मदिरा नियम 1996 में और संशोधन करता है, यथा -

उक्त नियमों में -

1. नियम 8 का उप नियम 3 विलोपित किया जाकर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय -

§3§ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी - प्रारूप एफ.एल.4, एफ.एल.4 क, एफ.एल.9, एफ.एल.9 क, एफ.एल.10, एफ.एल.10 क तथा एफ.एल.11 की अनुज्ञप्तियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत एवं जारी की जाएँगी। प्रारूप एफ.एल.1, एफ.एल.1 क, एफ.एल.1 क क, एफ.एल.1 क क क, एफ.एल.1 ख, एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.5, एफ.एल.6, एफ.एल.7 तथा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तियाँ सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएँगी।

2. नियम 8 उप नियम 1 का खंड §ट§ विलोपित किया जाकर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए -

§ट§ एफ.एल.10 §विनिर्माण कर्ता की वितरण अनुज्ञप्ति§ -
"§एक§ §1§ अनुज्ञप्तिधारी एफ.एल.9, एफ.एल.9 "क" और या बी-1 "क" अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्तियाँ या छत्तीसगढ़ के बाहर उसी प्रकार की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का धारक या उसका नाम निर्देशिती होगा।

अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के केवल उन ब्राण्डों तथा नाम पत्रों §लेबलों§ का विक्रय तथा स्टाक §भंडारण§ कर सकेगा जो नियम 9 के अंतर्गत पंजीकृत हों।

अनुज्ञप्तिधारी, एफ. एल. 10-ख अनुज्ञप्तिधारी से विदेशी मदिरा का अन्तहरण कर सकेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश के एफ. एल. ९/एफ. एल. 9 क और बी-1 के अधीन अथवा प्रदेश के बाहर समरूप अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों के धारक द्वारा या उनके नाम निर्देशिती के रूप में अभिहित हों, के द्वारा विदेशी मदिरा विनिर्मित या बोतल बंद की गई हो को बिना शुल्क का संदाय किये उपाप्त और भंडारण कर सकेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार उपाप्त एवं भंडारण किये स्टाक को प्रदेश के किसी एफ. एल. 1, एफ. एल. 1 क, एफ. एल. 1 क क, या एफ. एल. 1 क क क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विहित शुल्क एवं बोतल फीस का संदाय करने के पश्चात, उन्हें विक्रित कर सकेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी किसी भी अन्य विदेशी मदिरा विनिर्माणकर्ता द्वारा अधिकृत किये जाने पर ऐसे विनिर्माणकर्ता के उत्पाद का भी विक्रय, बिना अतिरिक्त अनुज्ञप्ति राशि के भुगतान कर सकेगा।

एफ.एल.10 अनुज्ञप्ति के, अनुज्ञप्त परिसर केवल राज्य के जिला मुख्यालयों पर ही अवस्थित होंगे ।

3. नियम 8 के उप नियम (1) के खंड 2 में शब्द संभाग में विलोपित किया जावे ।

4. नियम 14 के उप नियम (1) का परन्तुक विलोपित किया जाए ।

5. नियम 18 का उप नियम (19) विलोपित किया जाए ।

6. नियम 8 के उप नियम ट-1 में शब्द "यह अनुज्ञप्ति उपरोक्त खण्ड (ट) में वर्णित संभागों में से किसी एक के लिए मंजूर की जायगी" विलोपित किये जायें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
COMMERCIAL TAXES, FINANCE, PLANNING, ECONOMIC
& STATISTICS DEPARTMENT
" NOTIFICATION "

F.10-8(A)/2001/C.T.D./V/634
Notification No. .... Raipur, dated ....29.3.2001. In exercise of the power conferred by clause (g) and (h) of subsection (1) and (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) the State Government hereby further amends Chhattisgarh Foreign Liquor Rules. 1996 namely,

In the said Rules, -

1. Sub rule 3 of Rule 8 shall be omitted and following shall be substituted, namely.
   (3) Licencing Authorities - Licences in forms FL4, (FL4A), FL9, FL9A, (FL 10, FL 10A) and FL 11 shall be granted and issued by the Excise Commissioner, Licences in form FL1, FL1A, FL1AA, FL1AAA. FL 1B, FL2, FL3, FL5, FL6, FL7 and FL 8 shall be granted by the Collector of the district.

2. Clause (K) of sub rule (1) of rule 8 shall be omitted and following shall be substituted, namely -
   (K) FL 10 (Manufacture's Distribution Licence) :-

The licensee of FL10 license shall be holder of an FL 9, FL 9A and/or B-1A Licence or Licences or holder of a similar Licence/Licences from out side Chhattisgarh, or his nominee. The Licensee shall sell and stock only such foreign liquor whose brand and labels have been registered under Rule 9. The Licensee may also obtain foreign liquor by transfer from FL 10-A licensee. The Lincesee may without pre - payment of duty, obtain and stock foreign liquor from FL 9/FL 9-A and B-1 licencees or from similar licencees out side Chhattisgarh, or their nominees, which is manufactured/bottled by them. The stock thus procured and stocked by the FL10 licensee FL-1, FL 1-A, FL 1-AA or FL 1 AAA shall be sold to licensee, on payment of procombed duty and bottle fees. The licensee, on authorisation by any other manufacturer of foreign liquor, may also sell the product of such manufacturer. Without payment of additional license fees. The licensed premises of FL10 licenses shall be located only at the District Head quarters of the State.

3. Sub rule (2) of clause K of rule 8 the word "in a Division" shall be omitted

The proviso to sub rule 1 of rule 14 shall be omitted.

5. The sub rule 19 of rule 18 shall be omitted.

6. In sub rule K-1 of Rule 8 the words "This Licencee shall be granted for any one of the divisions mentioned in clause (K) above" shall be omitted..

This will come into force w.e.f. 1st April, 2001.

By order and in the name of
The Governor of Chhattisgarh

(K. R. MISRA)
DEPUTY SECRETARY